

**कार्यालय
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 18-5-2019

—कार्यालय ड्राफ्ट—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तिय सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित हुई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विवरण/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता छुट्टि/जारी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के सत्र-17 में डिप्लोमा इन कार्नेली पाठ्यक्रम संबंधित जारें नहीं नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विवरण-दिनांक एवं विवरण निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा निचार-दिनार्त किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्ता ही जाने के उपरांत प्रधान बर्य में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्डनिर्सिंग में सम्मिलित कक्षाया जा सके।

आ: निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं निचार-दिनेक्षण द्वारा ली गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित जारें के अर्थात पाठ्यक्रम एवं जारें अर्थात प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समता
1	2020	डा. सुनेश कि. शर्मा जीव संशोधन, लखनऊ नगर प्रौद्योगिक, केन रोड, लखनऊ, कार्यालय-200022	डिप्लोमा इन कार्नेली	रू.	रू.

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अथवा प्रवेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद विनियमनानुसार सत्र 2019-20 हेतु आवेदित एवं आवेदित का अनुमोदन करेगी तथा प्रत्येक निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित पूर्णतः सत्र 2019-20 हेतु पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 20,150.00/- प्रीतिर, दो वर्षीय कार्नेली पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 45,000.00/- प्रीतिर एवं एक सत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्नेली पाठ्यक्रम) के

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कानूनिबल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा उत्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मसौ पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरीय अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	3028	ई० पुल्केट सिंह कॉलेज ऑफ फार्मली, जे०एन० नगर, बेल रोड, लखनऊ, फार्मलीवाड।	डिप्लोमा इन फार्मली	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, संशोधन विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विनयन एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निरंतर समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु रक० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मली पाठ्यक्रम हेतु रक०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रक०-22,500.

(हस्ताक्षर)

कार्यालय**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

: कार्यालय आप :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3026-DR PUSHPENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY, J S NAGAR DAHELIYA, BEWAR ROAD, FATEHGARH, FARRUKHABAD-209602			
क्र० सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।